

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भीखाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी मोतीयोगियों का तला सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर		1. चैना पुत्र भीमा 2 नवला पुत्र मूला 3 उम्मेदा पुत्र वेहना 4 रतना पुत्र तगा 5 थाना पुत्र तुलछा 6 दूदा पुत्र लाला 7 गोमदा पुत्र भीखा 8 बन्ना पुत्र पोकर 9 उम्मेदा पुत्र विशना 10 विशना पुत्र शोरा जाति जाट निवासी मोतीयोगियों का तला सांजटा 11 गंगा पुत्र नंदराम 12 हीरा पुत्र भंवरा जाति जाट निवासी दौलाणियों का तला सांजटा 13 बाबू पुत्र सालगा जाति मेघवाल 14 अचला पुत्र पूनमा जाति मेघवाल 15 खेता पुत्र विरू जाति जाट निवासीयान मोतीयोगियों का तला सांजटा तहसील एवं जिला बाड़मेर 16 सरपंच ग्राम पंचायत सांजटा 17 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आवेदन संख्या-20/2020

दिनांक- 27.12.2021

संशोधन-आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मोतियोगियों का तला पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 161 रकबा 05.13 बीघा, खसरा नंबर 728/163 रकबा 20.11 बीघा, 730/200 रकबा 21.16 बीघा, एवं खसरा नंबर 745/264 रकबा 36.09 बीघा, मौजा सांजटा के खसरा नंबर 901/328 रकबा 52.09 बीघा चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल) पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक- 27/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/4536-4540

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सदर को उपरोक्त आदेश मे पुलिस ईमदाद की आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित है।
3. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मथ रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
4. प्रार्थी गोमदाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी मोतीयोगियों का तला सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर
5. विप्रार्थीगण उम्मेदा पुत्र खुमा वगैरह जाति जाट निवासी मोतीयोगियों का तला सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर